



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13072021-228236
CG-DL-W-13072021-228236

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13| नई दिल्ली, जून 27—जुलाई 3, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 6—आषाढ़ 12, 1943
No. 13| NEW DELHI, JUNE 27— JULY 3, 2021, SATURDAY / ASHADHA 6 – ASHADHA 12, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

आ.अ. 44.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और गायकवाड दिनकर धारोजी ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 95-जिन्नूर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, एवं कलक्टर, परभणी जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 95-जिन्तूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गायकवाड दिनकर धारोजी** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, परभणी जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **गायकवाड दिनकर धारोजी** को दिनांक 13.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **गायकवाड दिनकर धारोजी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **गायकवाड दिनकर धारोजी** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, परभणी जिला द्वारा दिनांक 20.03.2020 के अपने पत्र सं. निर्वाचन/2020/सीआर-41 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, परभणी द्वारा दिनांक 18.08.2020 के अपने पत्र सं. निर्वाचन/2020/सीआर/49 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **गायकवाड दिनकर धारोजी**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गायकवाड दिनकर धारोजी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 95-जिन्तूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गायकवाड दिनकर धारोजी**, निवासी-राजवाडी, डाकघर हटनूर, तालुक-सेलू, परभणी को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/एम.टी.-एल.ए./95/2019]

आदेश से,
एस.के. दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 14th June, 2021

O.N. 44.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and Gaikwad Dinkar Dharoji had contested the aforesaid election from 95-Jintur Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Parbhani District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Gaikwad Dinkar Dharoji** contesting candidate from 95-Jintur Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Parbhani District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 13.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Gaikwad Dinkar Dharoji** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 13.03.2020, **Gaikwad Dinkar Dharoji** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Gaikwad Dinkar Dharoji** on 20.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Parbhani District vide his letter No. Election/2020/CR-41 dated 20.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Parbhani vide his letter No. Election/2020/CR/49 dated 18-08-2020, it has been stated that **Gaikwad Dinkar Dharoji** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Gaikwad Dinkar Dharoji** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gaikwad Dinkar Dharoji**, resident of Rajwadi, Po. Hatnur, Ta Selu, Parbhani, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 95-Jintur Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/95/2019]

By Order,
S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23, जून 2021

आ.अ. 45.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **अमर शालिकराम पंधरे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **अमर शालिकराम पंधरे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **अमर शालिकराम पंधरे** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **अमर शालिकराम पंधरे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **अमर शालिकराम पंधरे** के पिता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के पिता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-310/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-310/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **अमर शालिकराम पंधरे**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **अमर शालिकराम पंधरे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **अमर शालिकराम पंधरे**, सु. मकरधोकड़ा, पो. डबकी, ता. देवरी, जि. गोंदिया को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./66/2019]

आदेश से,
एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 45.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Amar Shalikram Pandhare** had contested the aforesaid election from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Gondiya District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Amar Shalikram Pandhare** contesting candidate from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gondiya District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Amar Shalikram Pandhare** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Amar Shalikram Pandhare** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the father of Amar Shalikram Pandhare on 20.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's father has been submitted to the Commission by District Election officer, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-310/2020 dated 03/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-310/2020 dated 03/08/2020, it has been stated that **Amar Shalikram Pandhare** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Amar Shalikram Pandhare** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Amar Shalikram Pandhare**, At. Makardhokda, Po. Dawki, Ta. Deori, Dist- Gondiya, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/66/2019]

By Order,
S.K.DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 46.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे की पत्नी** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी **कि पत्नी** से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-309/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-309/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **उमेश कुमार मुलचंद सरोटे**, मु. कुंभारटोला (मुरपार), पों शिरपूर बाघ, ता. देवरी, जि. गोंदिया को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./66/2019]

आदेश से,
एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 46.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Umeshkumar Mulchand Sarote** had contested the aforesaid election from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra State as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Gondiya District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Umeshkumar Mulchand Sarote** contesting candidate from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gondiya District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Umeshkumar Mulchand Sarote** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Umeshkumar Mulchand Sarote** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the wife of Umeshkumar Mulchand Sarote on 20.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's wife has been submitted to the Commission by District Election officer, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-309/2020 dated 03/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-309/2020 dated 03/08/2020, it has been stated that **Umeshkumar Mulchand Sarote** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Umeshkumar Mulchand Sarote** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Umeshkumar Mulchand Sarote**, at. Kumbhartola (Murpar), Post-Shirpur Bagh, Ta. Deori, Dist- Gondia, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/66/2019]

By Order,

S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 47.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04- निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **इलेती मोहन रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा – 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **इलेती मोहन रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **इलेती मोहन रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **इलेती मोहन रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि इलेती मोहन रेड्डी ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि इलेती मोहन रेड्डी निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, इलेती मोहन रेड्डी निवासी- मकान नं. 5-95/जी, उपलूर ग्राम, काम्मरपल्ले मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 47.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Eleti Mohan Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Eleti Mohan Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Eleti Mohan Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Eleti Mohan Reddy** on **18.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Eleti Mohan Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, Eleti Mohan Reddy has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Eleti Mohan Reddy has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Eleti Mohan Reddy**, resident of - H.No.5-95/G, Uploor Village, Kammarpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 48.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एलेती राजा रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा – 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एलेती राजा रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एलेती राजा रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि एलेती राजा रेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि एलेती राजा रेड्डी ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि एलेती राजा रेड्डी निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, एलेती राजा रेड्डी निवासी- मकान नं. 8-59, लक्ष्मीपुर ग्राम, जगतियाल मंडल एवं जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 48.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Aleti Raja Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Aleti Raja Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Aleti Raja Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission

explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Aleti Raja Reddy** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Aleti Raja Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Aleti Raja Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Aleti Raja Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Aleti Raja Reddy**, resident of - H.No.8-59, Laxmipur Village, Jagtial Mandal & District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 49.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **इलेती संजीव रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **इलेती संजीव रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **इलेती संजीव रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित

रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **इलेती संजीव रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **इलेती संजीव रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **इलेती संजीव रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04- निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **इलेती संजीव रेड्डी** निवासी- मकान नं. 3-127, मन्तानी ग्राम, अरमुर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 49.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Eleti Sanjeev Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Eleti Sanjeev Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Eleti Sanjeev Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Eleti Sanjeev Reddy** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Eleti Sanjeev Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Eleti Sanjeev Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Eleti Sanjeev Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Eleti Sanjeev Reddy**, resident of - H.No.3-127, Manthani Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 50.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अरे सायान्ना, जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत अरे सायान्ना को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, अरे सायान्ना को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि अरे सायान्ना को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि अरे सायान्ना ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि अरे सायान्ना अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अरे सायान्ना, निवासी- मकान नं. 2-11, मुनिपल्ले ग्राम, जाकरानपल्ले मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 50.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Are Sayanna**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Are Sayanna**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Are Sayanna** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Are Sayanna** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Are Sayanna**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Are Sayanna** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Are Sayanna** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Are Sayanna**, resident of - H.No.2-11, Munipally Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 51.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **ए. कार्तिक**, जो तेलंगाना से लोक सभा – 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **ए. कार्तिक** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **ए. कार्तिक** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **ए. कार्तिक** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **ए. कार्तिक** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और
- (ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **ए. कार्तिक** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **ए. कार्तिक**, निवासी- मकान नं. 1-80/1, वेनचेरियाल ग्राम, मुपकल मंडल, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना-503224, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 51.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **A. Karthik**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **A. Karthik**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **A. Karthik** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **A. Karthik** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **A. Karthik**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **A. Karthik** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **A. Karthik** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **A. Karthik**, resident of - H.No.1-80/1, Vencheria Village, Mupkal Mandal, Nizamabad District, Telangana-503224 and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 52.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **कोम्मूला बुची रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कोम्मूला बुची रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कोम्मूला बुची रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **कोम्मूला बुची रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कोम्मूला बुची रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कोम्मूला बुची रेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कोम्मूला बुची रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 5-72, जोगनपल्ली ग्राम, कोरुतला मंडल, जगतियाल जिला, तेलंगाना-505460, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 52.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Kommula Buchi Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kommula Buchi Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Kommula Buchi Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Kommula Buchi Reddy** on **18.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Kommula Buchi Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Kommula Buchi Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kommula Buchi Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kommula Buchi Reddy**, resident of - H.No.5-72, Joganpalli Village, Korutla Mandal, Jagtial District, Telangana-505460 and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 53.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **कोत्ताला महेन्द्र**, जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कोत्ताला महेन्द्र** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कोत्ताला महेन्द्र** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **कोत्ताला महेन्द्र** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कोत्ताला महेन्द्र** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कोत्ताला महेन्द्र** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कोत्ताला महेन्द्र**, निवासी- मकान नं. 4-20, कालीगोटे ग्राम, जाकरानपल्ले मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश

की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेल.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 53.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Kottala Mahendher**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kottala Mahendher**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Kottala Mahendher** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Kottala Mahendher** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Kottala Mahendher**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Kottala Mahendher** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kottala Mahendher** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kottala Mahendher**, resident of - H.No.4-20, Kaligote Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 54.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **ए. गंगाधर**, जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **ए. गंगाधर** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **ए. गंगाधर** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **ए. गंगाधर** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **ए. गंगाधर** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **ए. गंगाधर** अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने

वाले अभ्यर्थी, ए. गंगाधर, निवासी- मकान नं. 6-50, हासकोथूर ग्राम, काम्मरपल्ले मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 54.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **A. Gangadhar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **A. Gangadhar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **A. Gangadhar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **A. Gangadhar**, on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **A. Gangadhar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **A. Gangadhar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **A. Gangadhar**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **A. Gangadhar**, resident of - H.No. 6-50, Hasakothur Village, Kammarpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary

Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 55.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एन. ओमकार रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एन. ओमकार रेड्डी**, को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एन. ओमकार रेड्डी**, को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **एन. ओमकार रेड्डी**, को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एन. ओमकार रेड्डी**, ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **एन. ओमकार रेड्डी**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **एन. ओमकार रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 4-88/1, मंथानी गांव, आरमूर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 55.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **N. Omkar Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **N. Omkar Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **N. Omkar Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **N. Omkar Reddy** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **N. Omkar Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **N. Omkar Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **N. Omkar Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **N. Omkar Reddy**, resident of - H.No.4-88/1, Manthani Village, Armoor Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 56.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **पुप्पला हन्मंदलु** जो तेलंगाना से लोक सभा - 2019 के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **पुप्पला हन्मंदलु** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **पुप्पला हन्मंदलु** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **पुप्पला हन्मंदलु** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **पुप्पला हन्मंदलु** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **पुप्पला हन्मंदलु** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04 - निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **पुप्पला हन्मंदलु** निवासी- मकान नं. 2-120/2, चित्तलुरु गांव, जकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 56.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Puppala Hanmandlu**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Puppala Hanmandlu**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Puppala Hanmandlu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Puppala Hanmandlu**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Puppala Hanmandlu**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Puppala Hanmandlu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Puppala Hanmandlu**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Puppala Hanmandlu**, resident of - H.No.2-120/2, Chinthloor Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 57.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एम गंगा रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एम गंगा रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **एम गंगा रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **एम गंगा रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एम गंगा रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **एम गंगा रेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **एम गंगा रेड्डी**, निवासी - मकान नं. 7-35/1, वैलपुर गांव और मंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 57.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **M. Gangareddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **M. Gangareddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **M. Gangareddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **M. Gangareddy**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **M. Gangareddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **M. Gangareddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **M. Gangareddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **M. Gangareddy**, resident of - H.No. 7-35/1, Vailpoor Village and Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 58.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार के **गंगा रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत के **गंगा रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, के **गंगा रेड्डी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि के **गंगा रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि के **गंगा रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **के गंगा रेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **के गंगा रेड्डी**, निवासी - मकान नं. 4-9, मिर्धापल्ली गांव, आरमूर मंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 58.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **K. Ganga Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **K. Ganga Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **K. Ganga Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **K. Ganga Reddy**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **K. Ganga Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **K. Ganga Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **K. Ganga Reddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **K. Ganga Reddy**, resident of - H.No. 4-9, Meerdhapally Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 59.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **गंगा रेड्डी एम.**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गंगा रेड्डी एम.** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **गंगा रेड्डी एम.** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **गंगा रेड्डी एम.** को उक्त नोटिस दिनांक 20.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गंगा रेड्डी एम.** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गंगा रेड्डी एम.** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **गंगा रेड्डी एम.**, निवासी - मकान नं. 1-38, मुनिपल्ली गांव, जाकरानपल्लीमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-तो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 59.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Ganga Reddy M.**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ganga Reddy M.**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Ganga Reddy M.** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Ganga Reddy M.**, on 20.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Ganga Reddy M.**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Ganga Reddy M** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Ganga Reddy M.**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ganga Reddy M.**, resident of - H.No. 1-38 Munipally Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 60.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **जी. सी. गंगारेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **जी. सी. गंगारेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **जी. सी. गंगारेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **जी. सी. गंगारेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 20.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **जी. सी. गंगारेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **जी. सी. गंगारेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **जी. सी. गंगारेड्डी**, निवासी - मकान नं. 4-4, मिर्धापल्ली गांव, आरमूरमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 60.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **G. C. Gangareddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **G. C. Gangareddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **G. C. Gangareddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **G. C. Gangareddy**, on 20.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **G. C. Gangareddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **G. C. Gangareddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **G. C. Gangareddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **G. C. Gangareddy**, resident of - H.No.4-4, Mirdhapally Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 61.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **गंगासरम राजा रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गंगासरम राजा रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **गंगासरम राजा रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **गंगासरम राजा रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गंगासरम राजा रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गंगासरम राजा रेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **गंगासरम राजा रेड्डी**, निवासी - मकान नं. 3-27/1, देगांव गांव, आरमूरमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 61.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Gangasaram Raja Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Gangasaram Raja Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Gangasaram Raja Reddy**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to Gangasaram Raja Reddy, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Gangasaram Raja Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Gangasaram Raja Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Gangasaram Raja Reddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gangasaram Raja Reddy**, resident of - H.No.3-27/1, Degaon Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 62.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री गड्डम गंगारेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री गड्डम गंगारेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **गड्डम गंगारेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **गड्डम गंगारेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गड्डम गंगारेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गड्डम गंगारेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **गड्डम गंगारेड्डी**, निवासी - मकान नं. 17-68, केशवनगर, रायकल गांव औरमंडल, जगतियाल जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 62.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Gaddam Gangareddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Gaddam Gangareddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Gaddam Gangareddy**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Gaddam Gangareddy**, on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Gaddam Gangareddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Gaddam Gangareddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Gaddam Gangareddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gaddam Gangareddy**, resident of - H.No.17-68, Keshavanagar, Raikal Village & Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 63.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **गड्डम तिरूपति**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गड्डम तिरूपति** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **गड्डम तिरूपति** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **गड्डम तिरूपति** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गड्डम तिरुपति** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गड्डम तिरुपति** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **गड्डम तिरुपति**, निवासी - मकान नं. 3-65/66, जाकरानपल्ली गांव औरमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 63.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Gaddam Thirupathi**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Gaddam Thirupathi**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Gaddam Thirupathi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not the lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Gaddam Thirupathi**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Gaddam Thirupathi**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Gaddam Thirupathi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Gaddam Thirupathi**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gaddam Thirupathi**, resident of - H.No.3-65/66, Jakranpally Village & Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 64.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **गुराड़ी श्रीनिवास**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गुराड़ी श्रीनिवास** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **गुराड़ी श्रीनिवास** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित

रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **गुराड़ी श्रीनिवास** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गुराड़ी श्रीनिवास** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थक घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थक रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गुराड़ी श्रीनिवास** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **गुराड़ी श्रीनिवास**, निवासी - मकान नं. 3-101, देगांव गांव, आरमूरमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थक होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 64.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Guradi Srinivas**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Guradi Srinivas**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Guradi Srinivas** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Guradi Srinivas**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Guradi Srinivas**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Guradi Srinivas** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Guradi Srinivas**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW ,THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Guradi Srinivas**, resident of - H.No.3-101, Degaon Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 65.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **गोसकुला महेश बाबू**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गोसकुला महेश बाबू** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **गोसकुला महेश बाबू** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **गोसकुला महेश बाबू** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गोसकुला महेश बाबू** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गोसकुला महेश बाबू** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **गोसकुला महेश बाबू**, निवासी - मकान नं. 1-82, धर्माराम गांव, जगतिवालमंडल औरजिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 65.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Goskula Mahesh Babu**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Goskula Mahesh Babu**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Goskula Mahesh Babu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Goskula Mahesh Babu**, on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Goskula Mahesh Babu**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Goskula Mahesh Babu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Goskula Mahesh Babu**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Goskula Mahesh Babu**, resident of - H.No.1-82, Dharmaram Village, Jagtial Mandal & District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 66.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **चिंतलपेल्ली मोहन**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **चिंतलपेल्ली मोहन** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **चिंतलपेल्ली मोहन** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **चिंतलपेल्ली मोहन** को उक्त नोटिस दिनांक **21.08.2020** को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **चिंतलपेल्ली मोहन** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **चिंतलपेल्ली मोहन** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **चिंतलपेल्ली मोहन**, निवासी - मकान नं. 1-27, मुनिपल्ली गांव, जाकरानपल्लीमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 66.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Chinthalapelly Mohan**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Chinthalapelly Mohan**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Chinthalapelly Mohan** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Chinthalapelly Mohan**, on 21.08.2020 ; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Chinthalapelly Mohan**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Chinthalapelly Mohan** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Chinthalapelly Mohan**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Chinthalapelly Mohan**, resident of - H.No.1-27, Munipally Village, Jakranpally mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 67.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **टंकसाला विनय**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **टंकसाला विनय** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **टंकसाला विनय** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **टंकसाला विनय** को उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **टंकसाला विनय** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **टंकसाला विनय** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **टंकसाला विनय**, निवासी - मकान नं. 2-100, मुनिपल्ली गांव, जाकरानपल्लीमंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 67.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Tankasala Vinay**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Tankasala Vinay**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Tankasala Vinay** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Tankasala Vinay**, on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Tankasala Vinay**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Tankasala Vinay** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Tankasala Vinay**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Tankasala Vinay**, resident of - H.No.2-100, Munipally Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 68.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **तालारी सुमन**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **तालारी सुमन** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **तालारी सुमन** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **तालारी सुमन** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **तालारी सुमन** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **तालारी सुमन** निर्वाचन व्यय का लेखा को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **तालारी सुमन**, निवासी- मकान नं. 3-34/1, मुनिपल्ली गांव, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं.76/तेलं.-लो.स./एसओयू 3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 68.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Talari Suman**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Talari Suman**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Talari Suman** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Talari Suman**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Talari Suman**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Talari Suman** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Talari Suman**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Talari Suman**, resident of - H.No.3-34/1, Munipally Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 69.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **तीगला तिरुपति रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **तीगला तिरुपति रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **तीगला तिरुपति रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **तीगला तिरुपति रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **तीगला तिरुपति रेड्डी** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **तीगला तिरुपति रेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **तीगला तिरुपति रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 4-11, भूपतिपुर, राइकल मंडल, जगतियाल जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-एचपी./एसओयू 3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 69.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Theegala Tirupathi Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Theegala Tirupathi Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Theegala Tirupathi Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Theegala Tirupathi Reddy**, on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Theegala Tirupathi Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, Theegala Tirupathi Reddy has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Theegala Tirupathi Reddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Theegala Tirupathi Reddy**, resident of - H.No.4-11, Bhupathipoor, Raikal Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 70.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **तुम्माला नवीन**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **तुम्माला नवीन** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **तुम्माला नवीन** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **तुम्माला नवीन** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **तुम्माला नवीन** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **तुम्माला नवीन** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **तुम्माला नवीन**, निवासी- मकान नं. 2-117/1, मिर्दापल्ली गांव, आरमूर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-एचपी./एसओयू 3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 70.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Tummala Naveen**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Tummala Naveen**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Tummala Naveen** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Tummala Naveen**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Tummala Naveen**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, Tummala Naveen has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Tummala Naveen**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Tummala Naveen**, resident of - H.No. 2-117/1, Mirdhapally Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 71.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **तुरागा नरसा रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **तुरागा नरसा रेड्डी** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **तुरागा नरसा रेड्डी** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **तुरागा नरसा रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **तुरागा नरसा रेड्डी** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **तुरागा नरसा रेड्डी** निर्वाचन व्यय का लेखा को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **तुरागा नरसा रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 5-94, पैडीमाडुगु गांव, कोरुतला मंडल, जगतिथाल जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू 3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 71.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Turaga Narsa Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Turaga Narsa Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Turaga Narsa Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Turaga Narsa Reddy**, on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Turaga Narsa Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Turaga Narsa Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Turaga Narsa Reddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Turaga Narsa Reddy**, resident of - H.No.5-94, Paidimadugu Village, Korutla Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 72.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **तुरुपु पेड्डा गंगाराम**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **तुरुपु पेड्डा गंगाराम** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **तुरुपु पेड्डा गंगाराम** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **तुरुपु पेड्डा गंगाराम** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **तुरुपु पेड्डा गंगाराम** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **तुरुपु पेड्डा गंगाराम** निर्वाचन व्यय का लेखा को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने

वाले अभ्यर्थी **तुरुपु पेड्डा गंगाराम**, निवासी- मकान नं.2-99, कालीगोटे गांव, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 72.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Turupu Pedda Gangaram**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Turupu Pedda Gangaram**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Turupu Pedda Gangaram** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Turupu Pedda Gangaram**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Turupu Pedda Gangaram**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Turupu Pedda Gangaram** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Turupu Pedda Gangaram**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Turupu Pedda Gangaram**, resident of - H.No. 2-99, Kaligote Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 73.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **के. दिवाकर**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **के. दिवाकर** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **के. दिवाकर** को अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **के. दिवाकर** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **के. दिवाकर** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **के. दिवाकर** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **के. दिवाकर**, निवासी- मकान नं. 1-66, मिट्टापुर गांव, राइकल मंडल, जगतियाल जिला, इस आदेश की तारीख से तीन

वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 73.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **K. Divakar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **K. Divakar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **K. Divakar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **K. Divakar**, on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **K. Divakar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **K. Divakar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **K. Divakar**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **K. Divakar**, resident of - H.No.1-66, Mittapur Village, Raikal Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 74.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **जी. नरसय्या**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **जी. नरसय्या** को निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **जी. नरसय्या** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **जी. नरसय्या** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **जी. नरसय्या** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **जी. नरसय्या** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **जी. नरसय्या**, निवासी- मकान नं. 5-97, धेगांव गांव, आरमूर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन

वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 74.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **G. Narsaiah**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **G. Narsaiah**, for not lodging of any account of Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **G. Narsaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **G. Narsaiah**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **G. Narsaiah**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **G. Narsaiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **G. Narsaiah**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **G. Narsaiah**, resident of - H.No.5-97, Dhegaon Village, Armour mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 75.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **नालीमेला महेंदर**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **नालीमेला महेंदर** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **नालीमेला महेंदर** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **नालीमेला महेंदर** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **नालीमेला महेंदर** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नालीमेला महेंदर** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **नालीमेला महेंदर**, निवासी- मकान नं.6-2, कालीगोटे गांव, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की

तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 75.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Nalimela Mahender**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nalimela Mahender**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Nalimela Mahender** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Nalimela Mahender**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Nalimela Mahender**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Nalimela Mahender** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Nalimela Mahender**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nalimela Mahender**, resident of - H.No.6-2, Kaligote Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 76.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **नल्ला बाला किशन**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **नल्ला बाला किशन** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **नल्ला बाला किशन** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **नल्ला बाला किशन** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **नल्ला बाला किशन** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थक घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थक रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नल्ला बाला किशन** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **नल्ला बाला किशन**, निवासी- मकान नं.5-90/4, मोटे गांव, वैलपूर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से

तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थक होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 76.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Nalla Bala Kishan**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nalla Bala Kishan**, for not lodging of any account of Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Nalla Bala Kishan** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Nalla Bala Kishan**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Nalla Bala Kishan**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Nalla Bala Kishan** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Nalla Bala Kishan**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW ,THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nalla Bala Kishan**, resident of - H.No.5-90/4, Mothe Village, Vailpoor Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 77.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखों की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **नागुलापल्ली देवेंदर**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **नागुलापल्ली देवेंदर** को निर्वाचन व्यय के लेख प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **नागुलापल्ली देवेंदर** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **नागुलापल्ली देवेंदर** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **नागुलापल्ली देवेंदर** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेख प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नागुलापल्ली देवेंदर** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **नागुलापल्ली देवेंदर**, मकान नं. 7-41, वनेल ‘बी’ गांव, बालकोंडा मंडल, निज़ामाबाद जिला इस आदेश की तारीख से

तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 77.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Nagulapally Devender**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nagulapally Devender**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Nagulapally Devender** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Nagulapally Devender**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Nagulapally Devender**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Nagulapally Devender** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Nagulapally Devender**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nagulapally Devender**, resident of - H.No. 7-41, Vannel 'B' Village, Balkonda Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 78.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **नीरादी प्रवीन**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **नीरादी प्रवीन** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **नीरादी प्रवीन** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **नीरादी प्रवीन** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **नीरादी प्रवीन** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नीरादी प्रवीन** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **नीरादी प्रवीन**, निवासी- मकान नं.7-99/4 वैलपुर गांव एवं मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष

की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू 3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 78.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Neeradi Praveen**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Neeradi Praveen**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Neeradi Praveen** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Neeradi Praveen**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Neeradi Praveen**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Neeradi Praveen** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Neeradi Praveen**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Neeradi Praveen**, resident of H.No.7-99/4, Vailpur Village and Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 79.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **नोमुला मोहन रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **नोमुला मोहन रेड्डी** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **नोमुला मोहन रेड्डी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **नोमुला मोहन रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **नोमुला मोहन रेड्डी** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और
- (ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नोमुला मोहन रेड्डी** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **नोमुला मोहन रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 8-35/1, वनेल(बी) गांव, बालकोंडा मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की

तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 79.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Nomula Mohan Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nomula Mohan Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Nomula Mohan Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Nomula Mohan Reddy**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Nomula Mohan Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Nomula Mohan Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Nomula Mohan Reddy**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nomula Mohan Reddy**, resident of - H.No.8-35/1, Vannel (B) Village, Balkonda Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 80.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **पेड्डा गंगाधर तालारी**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **पेड्डा गंगाधर तालारी** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **पेड्डा गंगाधर तालारी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **पेड्डा गंगाधर तालारी** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **पेड्डा गंगाधर तालारी** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(क) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थक घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थक रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **पेड्डा गंगाधर तालारी** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **पेड्डा गंगाधर तालारी** निवासी- मकान नं. 4-66, कोलीप्याक गांव, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश

की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 80.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Pedda Gangadhar Talari**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Pedda Gangadhar Talari**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Pedda Gangadhar Talari** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Pedda Gangadhar Talari**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Pedda Gangadhar Talari**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Pedda Gangadhar Talari** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Pedda Gangadhar Talari**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Pedda Gangadhar Talari**, resident of - H.No.4-66, Kolipyak Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 81.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **ए.पोशेट्टी**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **ए.पोशेट्टी** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **ए.पोशेट्टी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **ए.पोशेट्टी** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **ए.पोशेट्टी** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **ए. पोशेट्टी** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **ए.पोशेट्टी** निवासी- मकान नं. 1-93, पडगल गांव, वैलपुर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष

की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 81.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **A. Poshetty**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **A. Poshetty**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **A. Poshetty** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **A. Poshetty**, on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **A. Poshetty**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **A. Poshetty** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **A. Poshetty**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **A. Poshetty**, resident of - H.No.1-93, Padgal Village, Vailpur Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member

of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 82.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एम.प्रकाश**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एम.प्रकाश** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **एम.प्रकाश** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **एम.प्रकाश** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एम.प्रकाश** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **एम.प्रकाश** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **एम.प्रकाश** निवासी- मकान नं. 7-34, पडगल गांव, वैलपुर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 82.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **M. Prakash**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **M. Prakash**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **M. Prakash** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **M. Prakash** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **M. Prakash**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **M. Prakash** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **M. Prakash** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **M. Prakash**, resident of - H.No.7-34, Padgal Village, Vailpoor

Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 83.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **बालीजे लक्ष्मी राजम**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बालीजे लक्ष्मी राजम** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बालीजे लक्ष्मी राजम** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **बालीजे लक्ष्मी राजम** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बालीजे लक्ष्मी राजम** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बालीजे लक्ष्मी राजम** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बालीजे लक्ष्मी राजम** निवासी- मकान नं. 5-78, चौलामडुी गांव, मेटपल्ली मंडल, जगतियाल जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 83.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Baliye Laxmi Rajam**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Baliye Laxmi Rajam**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Baliye Laxmi Rajam** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Baliye Laxmi Rajam** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Baliye Laxmi Rajam**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Baliye Laxmi Rajam** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Baliye Laxmi Rajam** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Baliye Laxmi Rajam**, resident of - H.No. 5-78, Choulamaddi Village, Metpally Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 84.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **बाइ सायन्ना**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बाइ सायन्ना** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बाइ सायन्ना** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **बाइ सायन्ना** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बाइ सायन्ना** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और
- (ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बाइ सायन्ना** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बाइ सायन्ना** निवासी- मकान नं. 4-73, मुनिपल्ली गांव, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 84.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Bai Sayanna**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Bai Sayanna**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Bai Sayanna** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Bai Sayanna** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Bai Sayanna**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Bai Sayanna** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Bai Sayanna** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Bai Sayanna**, resident of - H.No. H.No.4-73, Munipally Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 85.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **प्रताप माचरला**, जो तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **प्रताप माचरला** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **प्रताप माचरला** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया है कि **प्रताप माचरला** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **प्रताप माचरला** ने आज की तारीख तक निर्वाचन व्यय का कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **प्रताप माचरला** निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **प्रताप माचरला** निवासी- मकान नं. 1-19, मंथानी गांव, आरमूर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 85.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Prathap Macharla**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Prathap Macharla**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Prathap Macharla** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Prathap Macharla** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Prathap Macharla**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Prathap Macharla** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Prathap Macharla** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Prathap Macharla**, resident of - H.No.1-19, Manthani Village, Armoor Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 86.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **प्रशांत**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **प्रशांत** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **प्रशांत** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **प्रशांत** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **प्रशांत** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि प्रशांत अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी प्रशांत, निवासी- मकान नं. 5-9, मुपकल गांव और मंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 86.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Prasanth**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Prasanth**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Prasanth** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Prasanth** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Prasanth**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Prasanth** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such

person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Prasanth** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Prasanth**, resident of - H.No.5-9, Mupkal Village & Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 87.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **बंदी रविन्द्र**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बंदी रविन्द्र** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बंदी रविन्द्र** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **बंदी रविन्द्र** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बंदी रविन्द्र** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बंदी रविन्द्र** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बंदी रविन्द्र**, निवासी- मकान नं. 3-35, नन्दीपेट मंडल के वनील (के), निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 87.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Bandi Ravindhar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Bandi Ravindhar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Bandi Ravindhar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Bandi Ravindhar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, reported dated 19.06.2021 that **Bandi Ravindhar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Bandi Ravindhar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Bandi Ravindhar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Bandi Ravindhar**, resident of - H.No.3-35, Vannel (K) of Nandipet Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 88.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **बक्कासेट्टी गंगाधर**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बक्कासेट्टी गंगाधर** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनोंका संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बक्कासेट्टी गंगाधर** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **बक्कासेट्टी गंगाधर** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बक्कासेट्टी गंगाधर** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बक्कासेट्टी गंगाधर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बक्कासेट्टी गंगाधर**, निवासी- मकान नं. 2-22/1, थाटीपल्ली गांव, जगतियाल मंडल और जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 88.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Bakkasetty Gangadhar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Bakkasetty Gangadhar**, for not lodging of accounts of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Bakkasetty Gangadhar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Bakkasetty Gangadhar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Bakkasetty Gangadhar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Bakkasetty Gangadhar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Bakkasetty Gangadhar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10 (A) of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Bakkasetty Gangadhar**, resident of - H.No.2-22/1, Thatipally Village, Jagtial Mandal & District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 89.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **बी. बाला राजू**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बी. बाला राजू** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बी. बाला राजू** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है कि **बी. बाला राजू** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बी. बाला राजू** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बी. बाला राजू** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बी. बाला राजू**, निवासी- मकान नं. 7-1/2, वैलपुर गांव और मंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 89.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **B. Bala Raju**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **B. Bala Raju**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **B. Bala Raju** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **B. Bala Raju** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **B. Bala Raju**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **B. Bala Raju** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **B. Bala Raju** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **B. Bala Raju**, resident of - H.No. 7-1/2, Vailpur Village and Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 90.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **बोदुगम नरेन्द्र**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बोदुगम नरेन्द्र** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनोंका संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बोदुगम नरेन्द्र** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है **बोदुगम नरेन्द्र** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बोदुगम नरेन्द्र** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बोदुगम नरेन्दर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बोदुगम नरेन्दर**, निवासी- मकान नं. 26-70, शिवाजीनगर, रायकल, जगतियाल जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 90.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Bodugam Narendar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Bodugam Narendar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Bodugam Narendar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Bodugam Narendar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Bodugam Narendar** has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Bodugam Narendar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Bodugam Narendar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Bodugam Narendar**, resident of H.No.26-70, Shivajinagar, Raikal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Elections to the Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 91.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **ब्यागरी शांतैय्या**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **ब्यागरी शांतैय्या** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **ब्यागरी शांतैय्या** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है **ब्यागरी शांतैय्या** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **ब्यागरी शांतैय्या** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **ब्यागरी शांतैय्या** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **ब्यागरी शांतैय्या**, निवासी- मकान नं. 4-44/2, पडगल गांव, वैलपुर मंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 91.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Byagari Shanthaiah**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Byagari Shanthaiah, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Byagari Shanthaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge accounts of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Byagari Shanthaiah** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Byagari Shanthaiah**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, Byagari Shanthaiah has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Byagari Shanthaiah** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Byagari Shanthaiah**, resident of H.No.4-44/2, Padgal Village, Vailpur Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 92.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **महेन्द्र मुसकु**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **महेन्द्र मुसकु** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **महेन्द्र मुसकु** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है **महेन्द्र मुसकु** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **महेन्द्र मुसकु** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **महेन्द्र मुसकु** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **महेन्द्र मुसकु**, निवासी- मकान नं. 3-53, वेलगुटुर गांव, मेन्डोरा मंडल, निजामाबाद जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 92.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Mahendhar Musku**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Mahendhar Musku**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Mahendhar Musku** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge accounts of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Mahendhar Musku** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Mahendhar Musku**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Mahendhar Musku** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Mahendhar Musku** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mahendhar Musku**, resident of H.No.3-53, Velgatur Village, Mendora Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 93.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **मामिदी तिरुपति रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **मामिदी तिरुपति रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनोंका संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **मामिदी तिरुपति रेड्डी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है **मामिदी तिरुपति रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **मामिदी तिरुपति रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मामिदी तिरुपति रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **मामिदी तिरुपति रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 1-32, वेंगलापुर गांव, गोलापल्ली मंडल, जगतियाल जिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 93.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Mamidi Thirupathi Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Mamidi Thirupathi Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Mamidi Thirupathi Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Mamidi Thirupathi Reddy** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Mamidi Thirupathi Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Mamidi Thirupathi Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Mamidi Thirupathi Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mamidi Thirupathi Reddy**, resident of H.No.1-32, Vengalapur Village, Gollapally Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 94.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **मुत्तेन्ना लाक्कड़ा**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **मुत्तेन्ना लाक्कड़ा** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **मुत्तेन्ना लाक्कड़ा** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **मुत्तेन्ना लाक्कड़ा** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **मुत्तेन्ना लाक्कड़ा** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **मुत्तेन्ना लाक्करा** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मुत्तेन्ना लाक्करा**, निवासी-मकान नं. 1-32, लक्ष्मापुर ग्राम, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 94.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Muthenna Lakkara**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Muthenna Lakkara**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Muthenna Lakkara** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Muthenna Lakkara** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Muthenna Lakkara**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Muthenna Lakkara** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Muthenna Lakkara** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Muthenna Lakkara**, resident of H.No.1-32, Laxmapur Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 95.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **वाई. रजिता**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **वाई. रजिता** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **वाई. रजिता** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **वाई. रजिता** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **वाई. रजिता** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **वाई. रजिता** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **वाई. रजिता**, निवासी-मकान नं. 2-17, अंथरगाम, जगतियाल मंडल और जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 95.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of her account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Y. Rajitha**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Y. Rajitha**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Y. Rajitha** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Y. Rajitha** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Y. Rajitha**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Y. Rajitha** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Y. Rajitha** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Y. Rajitha**, resident of H.No.2-17, Anthargam, Jagtial Mandal & District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 96.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **जी. रमेश**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **जी. रमेश** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **जी. रमेश** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **जी. रमेश** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **जी. रमेश** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **जी. रमेश** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **जी. रमेश**, निवासी-मकान नं. 2-106/1, पडगल ग्राम, वैलपुर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 96.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **G. Ramesh**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **G. Ramesh**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **G. Ramesh** directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **G. Ramesh** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **G. Ramesh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **G. Ramesh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **G. Ramesh** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **G. Ramesh**, resident of H.No.2-106/1, Padgal Village, Vailpur Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 97.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एस. रमेश रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एस. रमेश रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एस. रमेश रेड्डी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **एस. रमेश रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एस. रमेश रेड्डी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **एस. रमेश रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **एस. रमेश रेड्डी**, निवासी-मकान नं. 1-3/1, गडकोल ग्राम, सिरीकोंडा मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 97.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **S. Ramesh Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **S. Ramesh Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **S. Ramesh Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **S. Ramesh Reddy** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **S. Ramesh Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **S. Ramesh Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **S. Ramesh Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **S. Ramesh Reddy**, resident of H.No.1-3/1, Gadkole Village, Sirikonda Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 98.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **रवि शंकर कुंता**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **रवि शंकर कुंता** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **रवि शंकर कुंता** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **रवि शंकर कुंता** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **रवि शंकर कुंता** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **रवि शंकर कुंता** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **रवि शंकर कुंता**, निवासी-मकान नं. 1-41/बी, पालेम ग्राम, मोरथड मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 98.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Ravi Shanker Kunta**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ravi Shanker Kunta**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Ravi Shanker Kunta** directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Ravi Shanker Kunta** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Ravi Shanker Kunta**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Ravi Shanker Kunta** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Ravi Shanker Kunta** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ravi Shanker Kunta**, resident of H.No.1-41/B, Palem Village, Morthad Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 99.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **राजा वेंकट रेड्डी पाषपु**, निवासी-मकान नं. 2-40/बी, कोठापल्ली ग्राम, मुपकल मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 99.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Raja Venkat Reddy Pashapu**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Raja Venkat Reddy Pashapu**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Raja Venkat Reddy Pashapu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Raja Venkat Reddy Pashapu** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Raja Venkat Reddy Pashapu**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Raja Venkat Reddy Pashapu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Raja Venkat Reddy Pashapu** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Raja Venkat Reddy Pashapu**, resident of H.No. 2-40/B, Kothapally Village, Mupkal Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Elections to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 100.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एस. राजाशेखर**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एस. राजाशेखर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एस. राजाशेखर** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **एस. राजाशेखर** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एस. राजाशेखर** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **एस. राजाशेखर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **एस. राजाशेखर**, निवासी-मकान नं. 3-78/6, नागापुर ग्राम, बालकोंडा मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 100.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **S. Rajashekar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **S. Rajashekar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **S. Rajashekar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **S. Rajashekar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **S. Rajashekar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **S. Rajashekar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **S. Rajashekar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **S. Rajashekar**, resident of H.No.3-78/6, Nagapur Village, Balkonda Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 101.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **लिंगापुरम भूमेश्वर**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **लिंगापुरम भूमेश्वर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **लिंगापुरम भूमेश्वर** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **लिंगापुरम भूमेश्वर** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **लिंगापुरम भूमेश्वर** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **लिंगपुरम भूमेश्वर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **लिंगपुरम भूमेश्वर**, निवासी-मकान नं. 6-26, मुपकल ग्राम, मुपकल मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 101.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Lingapuram Bhumeswar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Lingapuram Bhumeswar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Lingapuram Bhumeswar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Lingapuram Bhumeswar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Lingapuram Bhumeswar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Lingapuram Bhumeswar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Lingapuram Bhumeswar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Lingapuram Bhumeswar**, resident of H.No. 6-26, Mupkal Village, Mupkal Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 102.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **पी. लिम्बारेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **पी. लिम्बारेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **पी. लिम्बारेड्डी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **पी. लिम्बारेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **पी. लिम्बारेड्डी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **पी. लिम्बारेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **पी. लिम्बारेड्डी**, निवासी-मकान नं. 1-20, मन्थानी ग्राम, आरमूर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 102.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **P. Limbareddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha-2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **P. Limbareddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **P. Limbareddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **P. Limbareddy** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **P. Limbareddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **P. Limbareddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **P. Limbareddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **P. Limbareddy**, resident of H.No.1-20, Manthani Village, Armour Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 103.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **लोका सुभाष**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **लोका सुभाष** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **लोका सुभाष** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **लोका सुभाष** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **लोका सुभाष** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **लोका सुभाष** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **लोका सुभाष**, निवासी-मकान नं.5-51, मुपकल ग्राम, मुपकल मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 103.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Loka Subhash**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Loka Subhash**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Loka Subhash** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Loka Subhash** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Loka Subhash**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice **Loka Subhash** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Loka Subhash** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Loka Subhash**, resident of H.No. 5-51, Mupkal Village, Mupkal Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 104.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **जी. विजय**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **जी. विजय** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **जी. विजय** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **जी. विजय** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **जी. विजय** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **जी. विजय** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **जी. विजय**, निवासी-मकान नं. 3-32/1, मुनीपल्ली ग्राम, जाकरानपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N.104.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **G. Vijay**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **G. Vijay**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **G. Vijay** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **G. Vijay** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **G. Vijay**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **G. Vijay** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **G. Vijay** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **G.Vijay**, resident of H.No.3-32/1, Munipally Village, Jakranpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 105.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **वेंकट रेड्डी जैदी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **वेंकट रेड्डी जैदी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **वेंकट रेड्डी जैदी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **वेंकट रेड्डी जैदी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **वेंकट रेड्डी जैदी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **वेंकट रेड्डी जैदी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **वेंकट रेड्डी जैदी** निवासी-मकान नं. 2-18, कोठापल्ली ग्राम, मुपकल मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N.105.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Venkat Reddy Jaidi**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Venkat Reddy Jaidi**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Venkat Reddy Jaidi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Venkat Reddy Jaidi** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Venkat Reddy Jaidi**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Venkat Reddy Jaidi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Venkat Reddy Jaidi** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Venkat Reddy Jaidi**, resident of H.No. 2-18, Kothapally Village, Mupkal Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 106.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **वेल्लम मल्ला रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **वेल्लम मल्ला रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **वेल्लम मल्ला रेड्डी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **वेल्लम मल्ला रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **वेल्लम मल्ला रेड्डी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **वेलमा मल्ला रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **वेलमा मल्ला रेड्डी**, निवासी-मकान नं. 2-71, लक्ष्मीपुर ग्राम, जगतियाल मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N.106.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Velma Malla Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Velma Malla Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Velma Malla Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Velma Malla Reddy** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Velma Malla Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Velma Malla Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Velma Malla Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Velma Malla Reddy**, resident of H.No. 2-71, Laxmipoor Village, Jagtial Mandal & District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 107.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **एम. शेखर**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एम. शेखर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एम. शेखर** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **एम. शेखर** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एम. शेखर** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **एम. शेखर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **एम. शेखर**, निवासी-मकान नं. 2-50/29, नरसापुर ग्राम, कम्मरपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 107.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **M. Shekar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **M. Shekar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **M. Shekar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **M. Shekar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **M. Shekar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **M. Shekar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **M. Shekar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **M. Shekar**, resident of H.No.2-50/29, Narsapur Village, Kammarpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 108.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **सन्था लिंगारेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **सन्था लिंगारेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **सन्था लिंगारेड्डी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **सन्था लिंगारेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **सन्था लिंगारेड्डी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **सन्था लिंगारेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सन्था लिंगारेड्डी**, निवासी-मकान नं. 5-96, हसकोठुर ग्राम, कम्मरपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा.सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 108.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Santha Lingareddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Santha Lingareddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Santha Lingareddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Santha Lingareddy** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Santha Lingareddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Santha Lingareddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Santha Lingareddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Santha Lingareddy**, resident of H.No. 5-96, Hasakothur Village, Kammarpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 109.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **संतोष**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **संतोष** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **संतोष** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **संतोष** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **संतोष** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **संतोष** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **संतोष**, निवासी-मकान नं. 6-66/ए, चौटपल्ली ग्राम, कम्मरपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 109.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Santosh**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Santosh**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Santosh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Santosh** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Santosh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Santosh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Santosh** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Santosh**, resident of H.No. 6-66/A, Choutpally Village, Kammarpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 110.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **समा स्वामी रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **समा स्वामी रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **समा स्वामी रेड्डी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **समा स्वामी रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **समा स्वामी रेड्डी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **समा स्वामी रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **समा स्वामी रेड्डी**, निवासी-मकान नं. 7-48, पडगल ग्राम, वैलपुर मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 110.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Sama Swami Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sama Swami Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sama Swami Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, the said notice was served to **Sama Swami Reddy** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Sama Swami Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sama Swami Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sama Swami Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sama Swami Reddy**, resident of H.No.7-48, Padgal Village, Vailpoor Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 111.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **सुंकारी राजकुमार**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **सुंकारी राजकुमार** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **सुंकारी राजकुमार** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **सुंकारी राजकुमार** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **सुंकारी राजकुमार** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **सुंकारी राजकुमार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सुंकारी राजकुमार**, निवासी-मकान नं. 3-101, वेमपल्ली ग्राम, मुपकल मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 111.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Sunkari Rajkumar**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sunkari Rajkumar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sunkari Rajkumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Sunkari Rajkumar** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Sunkari Rajkumar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sunkari Rajkumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sunkari Rajkumar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sunkari Rajkumar**, resident of H.No.3-101, Vempally Village, Mupkal Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 112.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **सोमिदी लिम्बैय्या**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **सोमिदी लिम्बैय्या** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **सोमिदी लिम्बैय्या** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **सोमिदी लिम्बैय्या** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **सोमिदी लिम्बैय्या** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **सोमिदी लिम्बैय्या** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सोमिदी लिम्बैय्या**, निवासी-मकान नं. 2-29, नरसापुर ग्राम, कम्मरपल्ली मंडल, निज़ामाबाद जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं.76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 112.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Somidi Limbaiah**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Somidi Limbaiah**, for not lodging of account of Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Somidi Limbaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Somidi Limbaiah** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Somidi Limbaiah**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Somidi Limbaiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Somidi Limbaiah** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Somidi Limbaiah**, resident of H.No.2-29, Narsapur Village, Kammarpally Mandal, Nizamabad District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 113.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **अदामाला रविन्द्र रेड्डी**, जो तेलंगाना से लोक सभा, 2019 के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **अदामाला रविन्द्र रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर नहीं करने के लिए दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **अदामाला रविन्द्र रेड्डी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने बताया कि **अदामाला रविन्द्र रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18.8.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निज़ामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **अदामाला रविन्द्र रेड्डी** ने कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **अदामाला रविन्द्र रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निज़ामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **अदामाला रविन्द्र रेड्डी**, निवासी-मकान नं. 9-46, लक्ष्मीपुर ग्राम, जगतियाल मंडल और जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-लो.स./दक्षिण3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 113.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **Adamala Ravindhar Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Adamala Ravindhar Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Adamala Ravindhar Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **Adamala Ravindhar Reddy** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **Adamala Ravindhar Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Adamala Ravindhar Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*
the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Adamala Ravindhar Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Adamala Ravindhar Reddy**, resident of -H.No.9-46, Laxmipur Village, Jagltial Mandal & District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

आ.अ. 114.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **डी. मुथा रेड्डी**, जो तेलंगाना के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़े हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **डी. मुथा रेड्डी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-एचपी/2019/04 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **डी. मुथा रेड्डी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने बताया है **डी. मुथा रेड्डी** को उक्त नोटिस दिनांक 18 अगस्त, 2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निजामाबाद ने दिनांक 19 जून, 2021 को अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **डी. मुथा रेड्डी** ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उन्होंने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **डी. मुथा रेड्डी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तेलंगाना राज्य के 04-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **डी. मुथा रेड्डी**, निवासी- मकान नं. 5-28, धर्माराम गांव, कोरूतला मंडल, जगतियालजिला, तेलंगाना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-तो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2021

O.N. 114.—WHEREAS, the General Election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Telangana, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 04-Nizamabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Nizamabad District, Telangana, **D. Mutha Reddy**, a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of Lok Sabha 2019 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-HP/2019/04, dated 06th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **D. Mutha Reddy**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **D. Mutha Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the accounts and also to lodge accounts of election Expenses with the District Election Officer, Nizamabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad, has reported that the said notice was served to **D. Mutha Reddy** on 18.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nizamabad in his supplementary report, dated 19.06.2021 reported that **D. Mutha Reddy**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **D. Mutha Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such

person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that D. Mutha Reddy has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **D. Mutha Reddy**, resident of H.No.5-28, Dharmaram Village, Korutla Mandal, Jagtial District and a contesting candidate from 04-Nizamabad Parliamentary Constituency of the State of Telangana in the General Election to the Lok Sabha 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/TEL-HP/SOU3/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

आ.अ. 115.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज जो छत्तीसगढ़ के 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के पत्र सं 92/निर्वा.पर्य/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं 214/निर्वा.पर्य/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले

निर्दलीय

अभ्यर्थी

श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज, ग्राम-गोड़म, तह0-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा. सं. छग0-विस./पूर्व अनु.—1/17/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th June, 2021

O.N. 115.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **17-Sarangarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, Independent contesting candidate from **17-Sarangarh Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **6th February, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **6th February, 2019**, **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, on 17th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter 92/निर्वा. पर्य/2020 dated 20th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter 92/निर्वा. पर्य/2020 dated 20th February, 2020. has stated that **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Krishn Chand Bhardwaj**, resident of **Village-Godam, Tahsil-Sarangarh, Dist-raigarh, Chhattisgarh** and the contesting Independent candidate, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **17-Sarangarh Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh

to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/17/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

आ.अ. 116.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती विद्या बाई बघेल, जो छत्तीसगढ़ के 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती विद्या बाई बघेल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती विद्या बाई बघेल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती विद्या बाई बघेल द्वारा 28 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 5 सितम्बर, 2019 के पत्र सं 2126/निर्वा.सुप./व्यय अनु./2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं 239/निर्वा0सुप./छ.वि.स.चु.-18/ईईएम/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती विद्या बाई बघेल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती विद्या बाई बघेल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्रीमती विद्या बाई बघेल, ग्राम-देवनगर, तहसील-रामानुजनगर जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़, 497333, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छग0-विस./पूर्व अनु.-1/04/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2021

O.N. 116.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **04-Premnagar Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Surajpur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Smt. Vidya Bai Baghel**, an **Independent** contesting candidate from **04-Premnagar Assembly Constituency** of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of her election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Surajpur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Smt. Vidya Bai Baghel**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th August, 2019, **Smt. Vidya Bai Baghel**, was directed to submit her representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Smt. Vidya Bai Baghel**, on 28th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Surajpur vide his letter No.2126/Ele.Sup./Exp.Sec./2019 dated 5th September, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Surajpur vide his letter No.239/Ele.Sup/CHLA-18/EEM/2020 dated 11th August, 2020 has stated that **Smt. Vidya Bai Baghel**, has not submitted any representation or her account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, She has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Smt. Vidya Bai Baghel**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Vidya Bai Baghel**, resident of **Village-Devnagar, Tahsil-Ramanujnagar, District-Surajpur, Chhattisgarh 497333** and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **04-Premnagar Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/04/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 117.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अरुण कुमार बंजारा, जो छत्तीसगढ़ के 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अरुण कुमार बंजारा, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अरुण कुमार बंजारा, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अरुण कुमार बंजारा द्वारा 29 जून, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं० क/नि.प./व्यय लेखा/2020/2238 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं० क/नि.प./व्यय लेखा/2020/2258 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अरुण कुमार बंजारा, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अरुण कुमार बंजारा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अरुण कुमार बंजारा, ग्राम-रजपालपुर, पोस्ट-भालूखोंदरा तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग0-विस./पूर्व अनु.-1/26/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 117.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **26-Lormi Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Arun Kumar Banjara, Independent** contesting candidate from **26-Lormi Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 25th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Arun Kumar Banjara**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 25th February, 2020, **Sh.Arun Kumar Banjara**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Arun Kumar Banjara**, on 29th June, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No.K/Elc.Ack./Exp.Sec./2020/2238 dated 11th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No.K/Elc.Ack./Exp.Sec./2020/2258 dated 24th August, 2020 has stated that **Sh. Arun Kumar Banjara**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Arun Kumar Banjara**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Arun Kumar Banjara**, resident of Gram-**Rajpalpur, Post-Bhalukhondra, Tahsil-Lormi, District-Mungeli, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **26-Lormi Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/26/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 118.- यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सनंत कुमार साहू आत्मज बनिहार साहू, जो छत्तीसगढ़ के 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सनंत कुमार साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सनंत कुमार साहू को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सनंत कुमार साहू द्वारा 2 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं० क/नि.प./व्यय लेखा/2020/2238 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं० क/नि.प./व्यय लेखा/2020/2258 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सनंत कुमार साहू ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सनंत कुमार साहू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री सनंत कुमार साहू, ग्राम—मोहनपुर, पोस्ट—फुलवारी एफ तहसील—लोरमी, जिला—मुंगेली, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा. सं. छग०-विस./पूर्व अनु.-1/26/2018]

आदेश से,
नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 118.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **26-Lormi Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Sanat Kumar Sahu S/o Banihar Sahu, Independent** contesting candidate from **26-Lormi Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 25th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Sanat Kumar Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 25th February, 2020, **Sh.Sanat Kumar Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh.Sanat Kumar Sahu**, on 2nd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No.K/Elc.Ack./Exp.Sec./2020/2238 dated 11th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No.K/Elc.Ack./Exp.Sec./2020/2258 dated 24th August, 2020 has stated that **Sh.Sanat Kumar Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Sanat Kumar Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Sanat Kumar Sahu**, resident of Gram-Mohanpur, Post-Fulwaree(F), Tahsil-Lormi, District-Mungeli, Chhattisgarh and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **26-Lormi Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/26/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 119—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संतोष

कुमार साहू, जो छत्तीसगढ़ के 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संतोष कुमार साहू, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संतोष कुमार साहू, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री संतोष कुमार साहू, द्वारा 28 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं० क/नि.प./व्यय लेखा/2020/2238 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं० क/नि.प./व्यय लेखा/2020/2258 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संतोष कुमार साहू, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संतोष कुमार साहू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 26-लोरमी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री संतोष कुमार साहू, ग्राम-मुछेल, पोस्ट-बरमपुर तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छग०-विस./पूर्व अनु.-1/26/2018]

आदेश से,
नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 119.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **26-Lormi Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Santosh Kumar Sahu, Independent** contesting candidate from **26-Lormi Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mungeli** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 25th February, 2020 was issued by Election

Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Santosh Kumar Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 25th February, 2020, **Sh. Santosh Kumar Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Santosh Kumar Sahu**, on 28th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No.K/Elc.Ack./Exp.Sec./2020/2238 dated 11th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mungeli** vide his letter No.K/Elc.Ack./Exp.Sec./2020/2258 dated 24th August, 2020 has stated that **Sh. Santosh Kumar Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Santosh Kumar Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Santosh Kumar Sahu**, resident of Gram-**Muchhel, Post-Barampur, Tahsil-Lorni, District-Mungeli, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **26-Lormi Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/26/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 120—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है,

और यतः, 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. **Exp-09/2019/(Part-3)Sheohar-5869** के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दिनेश सहनी, जो बिहार के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दिनेश सहनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक

14 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दिनेश सहनी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री दिनेश सहनी द्वारा 1 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं0 53/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 71/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दिनेश सहनी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिनेश सहनी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 03—पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी अभ्यर्थी श्री दिनेश सहनी, ग्राम—पो0—थाना—बरौली, जिला—गोपालगंज, बिहार 841405 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. बिहार—लो.सं./पूर्व अनु-1/3/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 120.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-3)Purvi Champaran-5869, dated 16th July, 2019, **Shri Dinesh Sahani**, contesting candidate, Rashtriya Mahan Gantantra Party, from **03- Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 14th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Dinesh Sahani** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th February, 2020, **Shri Dinesh Sahani** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Dinesh Sahani** on 1st March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.53/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.71/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Dinesh Sahani** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Dinesh Sahani** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Dinesh Sahani, resident of Village+PO+P.S.-Barauli, Distt-Gopalgang, Bihar-841405** and the contesting **Rashtriya mahan Gantantra Party**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/3/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 121.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-3)Sheohar-5869 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री पारसनाथ पाण्डेय, जो बिहार के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री पारसनाथ पाण्डेय, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री पारसनाथ पाण्डेय, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री पारसनाथ पाण्डेय, द्वारा 4 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं० 53/जि०नि०, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 71/जि०नि० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री पारसनाथ पाण्डेय, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पारसनाथ पाण्डेय, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 03—पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) अम्यर्थी श्री पारसनाथ पाण्डेय,, ग्राम—महमदा, पो०—बधना, थाना—पीपराकोठी, जिला—पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. बिहार—लो.सं./पूर्व अनु.-1/3/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 121.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-3) Purvi Champaran-5869, dated 16th July, 2019, **Shri Parasnath Pandey**, contesting candidate, Janvadhi Party (Soshilist), from **03- Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 14th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Parasnath Pandey** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th February, 2020, **Shri Parasnath Pandey** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Parasnath Pandey** on 4th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.53/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.71/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Parasnath Pandey** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he

has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Parasnath Pandey** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Parasnath Pandey, resident of Village-Mahmada, PO-Bathna, PS-Piprakothi, Distt-East Champaran, Motihari, Bihar** and the contesting **Janvadi Party (Soshilist)**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/3/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 122—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखों की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखों दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-3)Sheohar-5869 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रणधीर कुमार तिवारी, जो बिहार के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले असली देशी पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रणधीर कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रणधीर कुमार तिवारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखों न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रणधीर कुमार तिवारी द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं 53/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं 71/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रणधीर कुमार तिवारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रणधीर कुमार तिवारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 03—पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले असली देशी पार्टी अभ्यर्थी श्री रणधीर कुमार तिवारी, ग्राम—जलहों, पो0—मंगलापुर, थाना—संग्रामपुर, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. बिहार—लो.सं./पूर्व अनु-1/3/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 122.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-3) Purvi Champaran-5869, dated 16th July, 2019, **Shri Randhir Kumar Tiwari**, contesting candidate, **Asli Desi Party**, from **03- Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 14th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Randhir Kumar Tiwari** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th February, 2020, **Shri Randhir Kumar Tiwari** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Randhir Kumar Tiwari** on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.53/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.71/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Randhir Kumar Tiwari** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Randhir Kumar Tiwari** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Randhir Kumar Tiwari, resident of Village-Jalahan, PO-Manglapur, P.S-Sangrampur, Distt-East Champaran, Bihar** and the contesting **Asli Deshi Party**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/3/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 123—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-3)Sheohar-5869 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मनोज तिवारी, जो बिहार के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मनोज तिवारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मनोज तिवारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मनोज तिवारी द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं0 53/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं0 71/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मनोज तिवारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनोज तिवारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री मनोज तिवारी ग्राम-पंडितपुर, पो0-थाना-पीपराकोठी, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार-845429 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. बिहार-लो.सं./पूर्व अनु-1/3/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 123.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-3) Purvi Champaran-5869, dated 16th July, 2019, **Shri Manoj Tiwari**, contesting candidate, **Independent**, from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 14th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Manoj Tiwari** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th February, 2020, **Shri Manoj Tiwari** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Manoj Tiwari** on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.53/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.71/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Manoj Tiwari** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Manoj Tiwari** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

- (b) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Manoj Tiwari, resident of Village-Panditpur PO+P.S.--Piprakothi, Distt-East Champaran, Bihar-845429** and the contesting **Independent**, candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/3/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 124.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-3)Sheohar-5869 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सत्यम यादव, जो बिहार के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन न्याय दल के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सत्यम यादव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सत्यम यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सत्यम यादव द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2020 के पत्र सं 53/जि0नि0, पूर्वी चम्पारण के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 28 जुलाई, 2020 के पत्र सं 71/जि0निव0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सत्यम यादव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सत्यम यादव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 03-पूर्वी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन न्याय दल अभ्यर्थी श्री सत्यम यादव ग्राम-जमुनापुर, पो0-सिसवा, पटना भाया-राजपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा. सं. बिहार-लो.सं./पूर्व अनु.-1/3/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 124.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-3) Purvi Champaran-5869, dated 16th July, 2019, **Shri Satyam Yadav**, contesting candidate, Bahujan Nyay Dal, from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Purvi Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 14th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Satyam Yadav** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th February, 2020, **Shri Satyam Yadav** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Satyam Yadav** on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.53/Dist/Ele. dated 24th June, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Purvi Champaran** vide his letter No.71/Dist/Ele. dated 28th July, 2020 has stated that **Shri Satyam Yadav** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Satyam Yadav** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satyam Yadav**, resident of Village-Jamunapur, PO-Siswa Patna, Via-Rajepur, Distt-East Champaran, Bihar and the contesting **Bahujan Nyay Dal**, candidate for General

Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **03-Purvi Champaran** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/3/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28, जून 2021

आ.अ. 125.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **दिपक चंद्रभान गाडे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 140-अंबरनाथ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 140-अंबरनाथ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **दिपक चंद्रभान गाडे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **दिपक चंद्रभान गाडे** को दिनांक 28.09.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **दिपक चंद्रभान गाडे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **दिपक चंद्रभान गाडे** के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 14.10.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला द्वारा दिनांक 20.10.2020 के अपने पत्र सं.इलेक्शन/डेस्क-स.-4/विधानसभा 2019/डब्ल्यू.एस./2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे द्वारा दिनांक 19.03.2021 के अपने पत्र सं.जेन/कमरा 2/टिबल-4/विधानसभा इलेक्शन/डब्ल्यू.एस. 319/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **दिपक चंद्रभान गाडे**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **दिपक चंद्रभान गाडे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 140-अंबरनाथ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **दिपक चंद्रभान गाडे**, जय श्री राम नगर, ब्लॉक-सी-630 समोर, दिपक दरबार जवळ, नेताजी चौक, उल्हासनगर-4 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./140/2019]

आदेश से,
एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 125.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Deepak Chandrabhan Gade** had contested the aforesaid election from 140-Ambernath (SC) Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Thane District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Deepak Chandrabhan Gade** contesting candidate from 140-Ambernath (SC) Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Thane District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 28.09.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Deepak Chandrabhan Gade** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 28.09.2020, **Deepak Chandrabhan Gade** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Deepak Chandrabhan Gade on **14.10.2020**, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer, Thane District vide his letter No. Election/desk-No-4/Vidhansabha2019/WS-319/2020 dated 20/10/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Thane District vide his letter No. Gen/Room 2/Table-4/Vidhansabha Election/WS.319/2020 dated 19/03/2021, it has been stated that **Deepak Chandrabhan Gade** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Deepak Chandrabhan Gade** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Deepak Chandrabhan Gade**, Jai Shree Ram Nagar, Opposite Block C-630, Near Deepak Darbar, Netaji Chowk, Ulhasnagar-4, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 140-Ambernath (SC) Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/140/2019]

By Order,
S.K.DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

आ.अ. 126.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखों की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 31-पाटलिपुत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखों दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-31) पाटलिपुत्र-5840 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मंडु कुमार जो बिहार के 31-पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मंडु कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मंडु कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखों न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मंडु कुमार द्वारा 27 जून, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 31 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 1104/निर्वा०, पटना के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 1193/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मंडु कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मंडु कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 31-पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री मंटु कुमार, निवासी ग्राम-दौलतपुर, थाना-बिहटा, पो0-बिहटा, भाया-कुंजवों, जिला-पटना, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. बिहार-लो.सं./पूर्व अनु.-1/31/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2021

O.N. 126.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 31-Patliputra Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 28th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Patna District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-31) Patliputra-5840, dated 15th July, 2019, **Shri Mantu Kumar, Independent**, contesting candidate from 31-Patliputra Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Patna District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 19th March, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Mantu Kumar**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 19th March, 2020, **Sh.Mantu Kumar**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh.Mantu Kumar**, on 27th June, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Patna vide his letter No.1104/Ele dated 31st July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Patna vide his letter No.1193/Ele. dated 10th August, 2020 has stated that **Sh.Mantu Kumar**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Mantu Kumar**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Mantu Kumar**, resident of **Village-Daulatpur, P.S.-Bihta, Via-Kunjwan, District-Patna, Bihar** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **31-Patliputra Parliamentary Constituency** of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/31/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 127.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 29-नालन्दा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-29)नालन्दा-5872 के जरिए अग्रेषित दिनांक 2 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश पासवान, जो बिहार के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राकेश पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राकेश पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राकेश पासवान द्वारा 16 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के पत्र सं0 50/निर्वा0, नालन्दा के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के पत्र सं0 85/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राकेश पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री राकेश पासवान निवासी ग्राम-दरियापुर, पोस्ट तेतरावाँ,, थाना-मानपुर, जिला-नालन्दा, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. बिहार-लो.सं./पूर्व अनु.-1/29/2019,

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 127.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Nalanda Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 2nd July, 2019 submitted by the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-29)-5872, dated 16th July, 2019, **Shri Rakesh Paswan**, an **Independent** contesting candidate, from 29-Nalanda Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 6th February, 2021 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Rakesh Paswan**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 6th February, 2021, **Shri Rakesh Paswan**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Rakesh Paswan**, on 16th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.50/Ele dated 20th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.85/Ele. dated 27th April, 2020 has stated that **Shri Rakesh Paswan** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Rakesh Paswan**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rakesh Paswan**, resident of Village-Dariyapur Post Office-Tetrawa, Thana-Manpur, District-Nalanda, Bihar and an **Independent** contesting candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from 29-Nalanda Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/29/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 128.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 29-नालन्दा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-29)नालन्दा-5872 के जरिए अग्रेषित दिनांक 2 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री पवन कुमार पाण्डेय, जो बिहार के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री पवन कुमार पाण्डेय, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री पवन कुमार पाण्डेय, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री पवन कुमार पाण्डेय, द्वारा 16 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के पत्र सं० 50/निर्वा०, नालन्दा के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के पत्र सं० 85/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री पवन कुमार पाण्डेय, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पवन कुमार पाण्डेय, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी अभ्यर्थी श्री पवन कुमार पाण्डेय,, निवासी ग्राम एवं पोस्ट आफिस दरुआरा, थाना-नुरसराय, जिला-नालन्दा, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. बिहार-लो.सं./पूर्व अनु.- 1/29/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 128.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Nalanda Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 2nd July, 2019 submitted by the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-29)-5872, dated 16th July, 2019, **Shri Pawan Kumar Pandey**, contesting candidate **Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party**, from 29-Nalanda Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 6th February, 2021 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Pawan Kumar Pandey**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 6th February, 2021, **Shri Pawan Kumar Pandey**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Pawan Kumar Pandey**, on 16th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.50/Ele dated 20th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.85/Ele. dated 27th April, 2020 has stated that **Shri Pawan Kumar Pandey**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Pawan Kumar Pandey**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Pawan Kumar Pandey**, resident of Village and Post Office Thana-Noorsarai, District-Nalanda, Bihar and the contesting candidate **Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party** for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from 29-Nalanda Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/29/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 129.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 29-नालन्दा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-29)नालन्दा-5872 के जरिए अग्रेषित दिनांक 2 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मोहन विन्द, जो बिहार के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मोहन विन्द को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मोहन विन्द को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मोहन विन्द द्वारा 14 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के पत्र सं0 50/निर्वा0, नालन्दा के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के पत्र सं0 85/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मोहन विन्द ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मोहन विन्द निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री मोहन विन्द, निवासी ग्राम एवं पोस्ट आफिस केशोपुर, थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. बिहार-लो.सं./पूर्व अनु.-1/29/2019]

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 129.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Nalanda Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 2nd July, 2019 submitted by the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-29)-5872, dated 16th July, 2019, **Shri Mohan Bind**, an **Independent** contesting candidate, from **29-Nalanda** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 6th February, 2021 was issued by Election Commission

of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Mohan Bind**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 6th February, 2021, **Shri Mohan Bind**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Mohan Bind**, on 14th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.50/Ele dated 20th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.85/Ele. dated 27th April, 2020 has stated that **Shri Mohan Bind**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Mohan Bind**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Mohan Bind**, resident of Village and Post Office Keshopur Thana-Hilsa, District-Nalanda, Bihar and an **Independent** contesting candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **29-Nalanda** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/29/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 130.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 29-नालन्दा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र सं. **Exp-09/2019/(Part-29)नालन्दा-5872** के जरिए अग्रेषित दिनांक 2 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शैलेन्द्र चौधरी, जो बिहार के 29-नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शैलेन्द्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शैलेन्द्र चौधरी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री शैलेन्द्र चौधरी द्वारा 16 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के पत्र सं 50/निर्वा0, नालन्दा के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के पत्र सं० 85/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शैलेन्द्र चौधरी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शैलेन्द्र चौधरी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 29—नालन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री शैलेन्द्र चौधरी निवासी ग्राम—धनगावों गढपर, पोस्ट—धनगावों, थाना—तेल्हाड़ा, जिला—नालन्दा, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. बिहार—लो.सं./पूर्व अनु.-1/29/2019,

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 130.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Nalanda Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 2nd July, 2019 submitted by the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-29)-5872, dated 16th July, 2019, **Shri Shailendra Chaudhari**, an **Independent** contesting candidate, from **29-Nalanda** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nalanda District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 6th February, 2021 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Shailendra Chaudhari**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 6th February, 2021, **Shri Shailendra Chaudhari** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Shailendra Chaudhari**, on 16th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.50/Ele dated 20th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Nalanda vide his letter No.85/Ele. dated 27th April, 2020 has stated that **Shri Shailendra Chaudhari** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished

neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Shailendra Chaudhari**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shailendra Chaudhari**, resident of **Village-Dhangawan Gadh Par, Post-Dhangawan, Thana-Telhara, District-Nalanda, Bihar** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **29-Nalanda** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/29/2019]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 131.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री भुखन लाल साहू, जो छत्तीसगढ़ के 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री भुखन लाल साहू, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री भुखन लाल साहू, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री भुखन लाल साहू, ने प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं0 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री भुखन लाल साहू, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भुखन लाल साहू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 41—खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री भुखन लाल साहू, ग्राम—फरौदा, पोस्ट—भुरकोनी, थाना—पिथौरा, जिला— महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग0—विस./पूर्व अनु.—1/41/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 131.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **41-Khallari** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Bhukhan Lal Sahu**, an **Independent** contesting candidate from **41-Khallari Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **10th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Bhukhan Lal Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th February, 2020**, **Sh. Bhukhan Lal Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Bhukhan Lal Sahu**, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Bhukhan Lal Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Bhukhan Lal Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhukhan Lal Sahu** resident of **Gram-Farouda, Post-Bhurkoni, Thana-Pithora, Dist-Mahasamund, Chhattisgarh**, and the Independent contesting candidate of for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **41-Khallari Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/41/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 132.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नंद कुमार निषाद जो छत्तीसगढ़ के 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नंद कुमार निषाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नंद कुमार निषाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री नंद कुमार निषाद ने प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं. 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नंद कुमार निषाद ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नंद कुमार निषाद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड के अभ्यर्थी श्री नंद कुमार निषाद, ग्राम-डुमरपाली, पोस्ट-तुसदा, तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छग0-विस./पूर्व अनु-1/41//2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 132.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **41-Khallari** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Nand Kumar Nishad**, contesting candidate of **Pichra Samaj Party United** from **41-Khallari Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **10th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Nand Kumar Nishad**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th February, 2020**, **Sh. Nand Kumar Nishad**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Nand Kumar Nishad**, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Nand Kumar Nishad**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Nand Kumar Nishad**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Nand Kumar Nishad** resident of **Gram-Dumrapali, Post-Tusda, Tehsil-Bhagbahara, Dist- Mahasamund, Chhattisgarh**, and the contesting candidate of **Pichra Samaj Party United**, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **41-Khallari Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/41/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 133.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गोवर्धन निषाद जो छत्तीसगढ़ के 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गोवर्धन निषाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गोवर्धन निषाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री गोवर्धन निषाद द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं. 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गोवर्धन निषाद ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गोवर्धन निषाद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के अभ्यर्थी श्री गोवर्धन निषाद, ग्राम-खुडमुडी, पोस्ट-मोंगरपाली, तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा. सं. छग0-विस./पूर्व अनु-1/41/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 133.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **41-Khallari** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Govardhan Nishad**, contesting candidate of **Rashtriya Jansabha Party** from **41-Khallari Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **10th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Govardhan Nishad**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th February, 2020**, **Sh. Govardhan Nishad**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Govardhan Nishad**, on **13th August, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162 / क / सा.निर्वा. / लेखा / 2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173 / क / सा.निर्वा. / लेखा / 2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Govardhan Nishad**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Govardhan Nishad**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Govardhan Nishad** resident of **Gram-Khudmudi, Post-**

Mongarpali. The- Bagbahra, Dist-Mahasamund, Chhattisgarh, and the contesting candidate of **Rashtriya Jansabha Party**, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **41-Khallari Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/41/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 134.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रपिछ दिनांक 29 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कुमार गोंड जो छत्तीसगढ़ के 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कुमार गोंड को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कुमार गोंड को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कुमार गोंड द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कुमार गोंड ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कुमार गोंड निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 41-खल्लारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी श्री कुमार गोंड, ग्राम—बसुलाडबरी, पो0—भदरसी, तहसील—बागबाहरा, जिला—महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. छग0-विस./पूर्व अनु.-1/41/2018]

आदेश से,
नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 134.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **41-Khallari** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Kumar Gond**, contesting candidate of **Gondwana Gantantra Party** from **41-Khallari Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **10th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Kumar Gond**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th February, 2020**, **Sh. Kumar Gond**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Kumar Gond**, on **13th August, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Kumar Gond**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Kumar Gond**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Kumar Gond** resident of **Gram-Basuladabri, Post-Bhardarasi, Tehsil-Bagbahara, Dist-Mahasamund, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Gondwana Gantantra Party**, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **41-Khallari Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/41/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

आ.अ. 135.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 25-कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महंत जग कुमार शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के 25-कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री महंत जग कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री महंत जग कुमार शर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री महंत जग कुमार शर्मा द्वारा 27 सितम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4404 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री महंत जग कुमार शर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री महंत जग कुमार शर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25-कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री महंत जग कुमार शर्मा, ग्राम—सिपाही, फास्टरपुर मुंगेली, छत्तीसगढ़, 495334, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छग०-विस./पूर्व अनु.-1/25/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

O.N. 135.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **25-Kota Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, Independent** contesting candidate from **25-Kota Assembly Constituency** of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma**, on 27th September, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.Ele./LA Ele.2018/Exp./2020/4404 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.Ele/CHLA/Exp-/2019 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mahant Jag Kumar Sharma**, resident of **Gram-Sipahi, Fasterpur-Mungeli, Chhattisgarh 495334** and **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **25-Kota Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/25/2018]

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.